राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 2004 / 1848 / बाडमेर

नबीया वल्द दोलेखां, जाति मुसलमान निवासी ग्राम जागसा
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

....**अपीलांट**

बनाम

1– बलवन्त सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह जाति राजपूत
2– हरजी पुत्र खीमा जाति कलबी
समस्त जाति जागसा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

खण्ड पीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री डूंगरसिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय **दिनांक :–06–9–2019**

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6–1–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि हरजीराम पुत्र खीमाराम ने एक वाद दिनांक 16–8–1980 में अपीलान्ट के विरूद्ध

न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर, बालोतरा में प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर–84 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर–129 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर–83 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम जागसा तहसील पचपदरा में स्थित है जिसके रिकार्डेड खातेदार उसमान, वलीया व रेमीया ने अपना 3/4 हिस्सा वादी को जरिये पंजीकृत विक्रयनामा बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या–639 के द्वारा वादी 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया व 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी नबीया पूर्व की तरह खातेदार बरकरार रहा। उक्त भूमि पर दोनों पक्षों ने बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार रिकार्ड में अपना खाता अलग करा पाने का वादी हकदार है। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं सहायक कलेक्टर, बालोतरा के न्यायालय ने 5 तनकीयात कायम किये और विचारण न्यायालय ने दिनांक 18–3–1985 को दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया। प्रतिवादी ने इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 28–11–1991 को स्वीकार कर ली गई और विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 20–9–1999 को दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध पुनः अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर में की गयी। उक्त अपील दिनांक 6–1–2004 को खारिज कर दी गयी। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 6–1–2004 को पारित करने में तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि की है और उक्त निर्णय न्याय, नियम व

रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का पालन नहीं किया। विवादित भूमि को अपीलान्ट के पिता दोले खां ने अपने तीन बेटों को अलग कर दिया। विवादित भूमि पर केवल नबीया का ही कब्जा काश्त था लेकिन विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया। विवादित आराजी पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के पक्ष में डिक्री पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 को जो बेचान किया है वह अपीलान्ट के अधिकारों के विरूद्ध है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने दिनांक 28–11–1999 को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुये विचारण न्यायालय को निर्देश दिये कि उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण का निस्तारण करें किन्तु विचारण न्यायालय ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया एवं बिना जांच व सुनवाई किये ही प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने कन्फर्म कर दिया। विवादित भूमि पर सी.आर.पी.सी. की धारा–145 व 147 के अन्तर्गत फौजदारी प्रकरण न्यायालय में जैरकार है और भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर रखा है। इसके बावजूद रेस्पोन्डेन्ट के हक में निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपास्त किया जाये।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस ने कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 ने विवादित आराजी में 3/4 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया जिसका नामान्तरकरण संख्या–639 खुल गया। इसके बाद इसे रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या–996 खुल गया व रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 विवादित आराजी में 3/4 हिस्से

का खातेदार हो गया। मौके पर मनबट के अनुसार बंटवारा कर रखा है उसके अनुसार बंटवारा करवाने का अधिकारी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सही निर्णय पारित किया है। दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती है इसलिये अपील खारिज की जाये।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ई.एक्स.–1 जमाबन्दी संख्या–2034 में विवादित भूमि पर उसमान, वालिया, रेमीया, नबीया पिसरान दौला कौम मुसलमान साकिन देह खातेदार दर्ज है। इसी में नामान्तरकरण संख्या–639 के जरिये उसमान, वालिया, रेमिया पि. दौला ने अपना हिस्सा बेचान करने से हरजीराम पुत्र खीमाराम हिस्सा 3/4 कलबी साकिन देह का नाम दर्ज किया गया। ई.एक्स.–3 जमाबन्दी संख्या–2047–2050 में नामान्तरकरण संख्या–1179 के अनुसार बलदेव सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह हिस्सा 3/4 कौम राजपूत साकिन देह खातेदार का नाम दर्ज किया गया। उपर्युक्त दोनों जमाबंदियों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि उसमान, वालिया, रेमीया व नबीया पिसरान दौला की थी जिसमें से उसमान, वालिया, रेमीया ने अपना 3/4 हिस्सा हरजीराम पुत्र खीमाराम को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया और नामान्तरकरण संख्या–639 के द्वारा विवादित भूमि के 3/4 हिस्से पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 हरजीराम पुत्र खीमाराम का नाम दर्ज हो गया। कालांन्तर में भूमि का पुनः बेचान होने के कारण रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की जगह रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी। इस प्रकार विवादित भूमि के 3/4 हिस्से के रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 खातेदार काश्तकार हो गये। शेष 1/4 हिस्से के अपीलान्ट खातेदार काश्तकार बरकरार रहे।

8– जहां तक दोनों पक्षकारों में मनबट के आधार पर बंटवारा होने का तथ्य है वह मौखिक साक्ष्यों से पूर्णतः साबित नहीं होता है। अतः विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी कर सही निर्णय किया है। तहसीलदार मौके पर जाकर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करवा कर भेजेंगे, तब अन्तिम डिक्री जारी होगी। विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–9–1999 पूर्णतः सही व विधिसम्मत है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने भी उक्त निर्णय को यथावात रखा है और प्रथम अपील खारिज करके उचित निर्णय प्रदान किया है।

9– अपील में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को विधिवत सुनकर, उनकी साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया है। जहां तक अपीलान्ट का कथन कि सम्पूर्ण भूमि पर उसका कब्जा काश्त है, किसी भी दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र रिकार्डेड खातेदार बना था और उसके बेचान करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 खातेदार काश्तकार बना। पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करते समय विक्रेता कब्जा भी संभलवा देता है। अतः अपीलान्ट की उक्त आपत्ति सारहीन है कि रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा विवादित आराजी पर नहीं है।

10– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। इन निर्णयों में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल ने ऐसे मामलों में कई बार अभिमत प्रकट किया है कि जब दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हो तो राजस्व मण्डल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इस प्रकरण में हम भी यही मत रखते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने के

कारण हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर का निर्णय दिनांक 6-1-2004 तथा सहायक कलेक्टर, बालोतरा का निर्णय दिनांक 20-9-1999 यथावत रखा जाता है।

11- प्रकरण में अभी प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। बंटवारा हेतु कुरेजात तैयार करवाना आवश्यक है। अतः प्रकरण पुनः सहायक कलेक्टर, बालोतरा के न्यायालय में प्रेषित किया जाता है और निर्देश दिये जाते हैं कि तीन माह में प्रकरण का निस्तारण राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार करें। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवावें व अन्तिम डिक्री पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य